न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हुक्मीचंद

राजस्व आवेदन सं. 30/2020

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी बाड़मेर शहर		**नवलकिशोर लीलावत, अम्बेड़कर बौद्ध पार्क बाड़मेर , तिलक नगर बाड़मेर**

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक : 27.12.2025

1. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का **बाड़मेर शहर** द्वारा **05.06.2020** को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि विप्रार्थी **श्री नवलकिशोर लीलावत, अम्बेड़कर बौद्ध पार्क बाड़मेर, तिलक नगर बाड़मेर** द्वारा ग्राम **बाड़मेर शहर** के खसरा नम्बर **2546/1211** रकबा **171–16** बीघा किस्म गै.मु.आगौर भूमि में से **2 बीघा** भूमि पर संवत् 2076 में पक्का कमरा, टांका, मूर्ति, बाड़ा बनाकर राजकीय भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है। अतः इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही फरमावें।
2. हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत् विप्रार्थी श्री नवलकिशोर लीलावत, अम्बेड़कर बौद्ध पार्क बाड़मेर, तिलक नगर बाड़मेर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया।
3. विप्रार्थी द्वारा दिनांक 08.06.2020 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया कि अम्बेड़कर सर्किल,एक बौद्ध पार्क एवं धार्मिक, सामाजिक, सार्वजनिक स्थान है जिससे सभी की आस्था एवं भावनाएं जुड़ी हुई है तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेड़कर एवं महात्मा बुद्ध के प्रति देश–विदेश तक भावनाएं जुड़ी हुई है। यहां पर दूर–दराज के अनुयायी आते रहते है, जिस पर मेरा निजी आधिपत्य नहीं है। मेरा निवास स्थान एवं महिला पुलिस थाना बाड़मेर के पास होने से मेरे एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा हेतु अनुयायी के रूप में आया जाता है। उक्त स्थान पर वृक्षारोपण वन विभाग के अधिकारियों एवं पयार्वरण प्रेमियों द्वारा किया गया है। प्रतिमाओं एवं पौधों की सुरक्षा के लिए तारबंदी की गई है। इसके समीप रैलिंग, सिढ़ियों, टांका एवं शौचालय का निर्माण आमजन की सुविधा के लिए नगर परिषद् बाड़मेर द्वारा करवाया गया है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा समाजसेवी स्वर्गीय तनसिंह चौहान द्वारा लगवाई गई है। बोद्धिवटवृक्ष पूर्व सांसद एवं विधायक स्वर्गीय वृद्धिचंद जैन द्वारा लगवाए गए है। उक्त सार्वजनिक स्थान से यदि मेरे द्वारा आपके नोटिस की पालना में सर्किल एवं पार्क को हटाने का कार्य किया जाता है, तो आमजन की भावनाएं आहत होगी। अतः नोटिस के सन्दर्भ में राहत प्रदान की जावें।
4. विप्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में श्री [illegible] बाड़मेर), श्री तोगाराम मेघवाल (पूर्व उपाध्यक्ष, राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, [illegible] श्री बलवंताराम पुत्र उकाराम जाति गवारिया निवासी बलदेव नगर बाड़मेर, श्री [illegible] पुत्र छोटाराम तेजी जाति वाल्मीकि निवासी न्यू अम्बेड़कर कॉलोनी, तिलक नगर बाड़मेर व श्री नरेश कुमार पुत्र हेमाराम गर्ग जाति गरूड़ा निवासी भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के साक्ष्य बयान प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmi Chand
Date: 2026.03.23 16:27:44 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बाड़मेर

किए गए। जिसके गवाह द्वारा उक्त भूमि पर विप्रार्थी का निजी रूप से किसी प्रकार का आधिपत्य नहीं होना एवं उक्त स्थान सार्वजनिक होकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेड़कर के अनुयायियों का आस्था स्थल प्रकट किया है।

5. हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन उक्त भूमि का मौका देखा एवं विप्रार्थी के प्रस्तुत जवाब एवं साक्ष्य गवाहों के बयानों का अध्योपान अध्ययन किया। निर्विवाद रूप से उक्त भूमि गै.मु.आगौर के रूप में राजकीय भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेड़कर की मूर्ति स्थापित एवं सर्किल निर्माण किया गया है। इसके समीप अन्य महापुरूषों की मूर्तियों को स्थापित करते हुए पार्क विकसित किया गया है। विप्रार्थी के कथनानुसार उक्त निर्माण भामाशाह एवं नगर परिषद् बाड़मेर से सोजन्य से करवाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि नगर परिषद् बाड़मेर द्वारा निर्माण करवाया गया है तो पूर्णतया अवैध है। उक्त स्थान प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। मौके पर स्थित अनुसार वर्तमान में उक्त परिसर सार्वजनिक स्थान के रूप में विकसित है तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेड़कर की मूर्ति एवं सर्किल पर समय समय पर जयंती इत्यादि सार्वजनिक कार्यक्रम होते रहते है। ऐसे में प्रथम दृष्ट्या उक्त भूमि पर विप्रार्थी का ि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेड़कर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेड़कर नजी तौर पर किसी प्रकार का कब्जा एवं आधिपत्य प्रमाणित नहीं होता है। चूंकि उक्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की है जिसे अक्षुण्ण रखा जाना आवश्यक है किन्तु समय समय पर निर्माण के दौरान संबंधित दायित्वधीन के द्वारा अनदेखी की जाने के फलस्वरूप निर्माण किया गया। वर्तमान में उक्त स्थान पर आमजन की भावनाएं जुड़ी हुई है। जिसके फलस्वरूप परिसर से निर्माण एवं कब्जा हटाया जाना संभव प्रतीत नही होता है। उक्त स्थान के प्रबंधन एवं रखररखाव हेतु यद्यपि कोई पंजीकृत संस्था उतरदायी नहीं है किन्तु समय समय पर सावर्जनिक आयोजनों पर अस्थायी समितियों द्वारा आयोजन होता है। ऐसे में उक्त परिसर के प्रबंधन सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु स्थानीय निकाय के माध्यम से करवाया जाना आवश्यक समीचीन प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थी के विरूद्ध जारी नोटिस उनके इस कथन के आधार पर निस्तारित किया जाता है कि उक्त स्थान पर निजी रूप से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा यदि उनका इस प्रकार भविष्य में निजी आधिपत्य के आशय से हस्तक्षेप पाया जाता है तो धारा 91(6) के तहत कार्यवाही प्रयोज्य होगी।

पत्रावली फेसल शुमार होकर संख्या से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर महोदय, बाड़मेर को सूचनार्थ प्रेषित है।

6. निर्णय आज दिनांक **27.12.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हुक्मीचंद)
तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmi Chand
Date: 2026.03.23 16:27:44 IST
Reason: SelfAttested